

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ .2 (क )/अलेसे I/निप लिंक न . 8689/ 136

दिनांक :- 26/02/2021

कार्यालय आदेश

श्री हरिबल्लभ ओझा [लिंक नं. 8689] तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, जैसलमेर [1112] को दिनांक 19/07/2017 दिनांक से 08/05/2018 तक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कार्यालय उप कोषाधिकारी, फतेहगढ़, जैसलमेर [6375] के उप कोषाधिकारी के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 2 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (दिनांक 19/07/2017 से 18.01.2018 तक का ) स्वीकृत किया जाता है।

उक्त आदेश निदेशक महोदय से अनुमोदित है।



(भवानी सिंह मीणा)

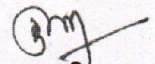
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)

क्रमांक :- एफ .2 (क )/अलेसे I/निप लिंक न . 8689/ 136

दिनांक :- 26/02/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सम (जैसलमेर)
2. उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, फतेहगढ़, जैसलमेर
3. कोषाधिकारी जैसलमेर
4. श्री हरिबल्लभ ओझा [8689] तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, सम , जैसलमेर
5. निजी सचिव, निदेशक
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली / निजी पत्रावली



कुसुम मीणा

सहायक निदेशक (कार्मिक-I )